न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 167/14 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2014/00310

अनवान्

1. श्रीमती जब्बुबाई उर्फ जबरी बाई मृतक के बजाय :–

1/1 श्री ललित पिता बग्गा रेबारी निवासी रेबारियो की ढाणी मजरा गुडली तहसील मावली।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री बग्गा पिता पहाड रेबारी निवासी रेबारियो की ढाणी मजरा गुडली तहसील मावली।
2. श्री भगवान पिता गरवर रेबारी निवासी रेबारियो की ढाणी मजरा गुडली तहसील मावली।
3. श्री रामलाल पिता हरा रेबारी निवासी रेबारियो की ढाणी मजरा गुडली तहसील मावली।
4. श्री नरसिंग पिता हरा रेबारी निवासी रेबारियो की ढाणी मजरा गुडली तहसील मावली।
5. श्री डुंगर पिता हरा रेबारी निवासी रेबारियो की ढाणी मजरा गुडली तहसील मावली।
6. श्रीमती जब्बु पत्नी रामलाल रेबारी निवासी रेबारियो की ढाणी मजरा गुडली तहसील मावली।
7. श्री हीरालाल पिता भग्गा रेबारी निवासी रेबारियो की बस्ती गाडवा तहसील मावली।
8. श्रीमती मनोहरकुंवर पत्नी रतनसिंह राजपूत निवासी जिंक स्मेल्टर देबारी तहसील गिर्वा।
9. श्री भूवनेश्वर पिता गणेशलाल पालीवाल निवासी म.न. 6 क–3 रामसिंह जी की बाडी हिरणमगरी सेक्टर नम्बर 11 उदयपुर।
10. श्री यशवन्त कुमार पिता शांतिलाल कावडिया निवासी गुडली तहसील मावली।
11. श्री पुंजा पिता हमारी रेबारी निवासी रेबारियों की ढाणी मजरा गुडली तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री भेरूलाल जाट, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 4 से 6, 11
3. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 04.09.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा रेबारियो की ढाणी पटवार हल्का गुडली तहसील मावली के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 3447/4177, 3449/4182, 4086/357, 4171/[illegible] [illegible]75/357, 4223/357, 4252/357,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

4265/357, 4271/357 किता 9 कुल रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 3446/4086, 3448/4182, 3450/4223, 3451/4271, 4174/357, 4176/357, 4177/357, 4182/357, 4264/357 किता 9 कुल रकबा 8 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट ग में वर्णित आराजी नम्बर 4253/357 रकबा 3 बिस्वा आ.चा. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 2 तथा श्रीमती शंकरी बेवा गरवर के नाम 1/2 हिस्सा बराबर के अनुसार अंकित हैं। परिशिष्ट घ में वर्णित आराजी नम्बर 4078/357, 4119/357, 4121/357, 4123/357, 4178/357, 4220/357 किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/12 हिस्सानुसार, विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/12 हिस्सानुसार, स्व. श्री शंकर पिता प्रताप के नाम 1/6 हिस्सानुसार, स्व. श्रीमती सुन्दर बेवा मिसरी जी के नाम 1/6 हिस्सानुसार, विपक्षी संख्या 3 से 5 के नाम 1/8 हिस्सा बराबर, विपक्षी संख्या 8 के नाम 1/16 हिस्सा, विपक्षी संख्या 9 के नाम 1/16 हिस्सा, विपक्षी संख्या 10 के नाम 1/16 हिस्सा, विपक्षी संख्या 11 के नाम 1/16 हिस्सा, आराजी संख्या 4078/357 का 1/8 हिस्सा विपक्षी संख्या 6 के नाम, आराजी संख्या 4119/357, 4121/357, 4123/357, 4178/357, 4220/357 किता 5 का 1/8 हिस्सा विपक्षी संख्या 7 के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट च में वर्णित आराजी नम्बर 4084, 4250/357, 4268/357, 4269/357, 4270/357 किता 5 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में स्व. श्री शंकर पिता प्रताप रेबारी के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट छ में वर्णित आराजी नम्बर 4085/357, 4251/357, 4266/357, 4267/357 किता 4 कुल रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में स्व. श्रीमती सुन्दर बेवा श्री मिसरी रेबारी के नाम दर्ज हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात मूल पुरूष देव जी के समय से चली आ रही है। मूल पुरूष स्व. श्री देवजी का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है :–

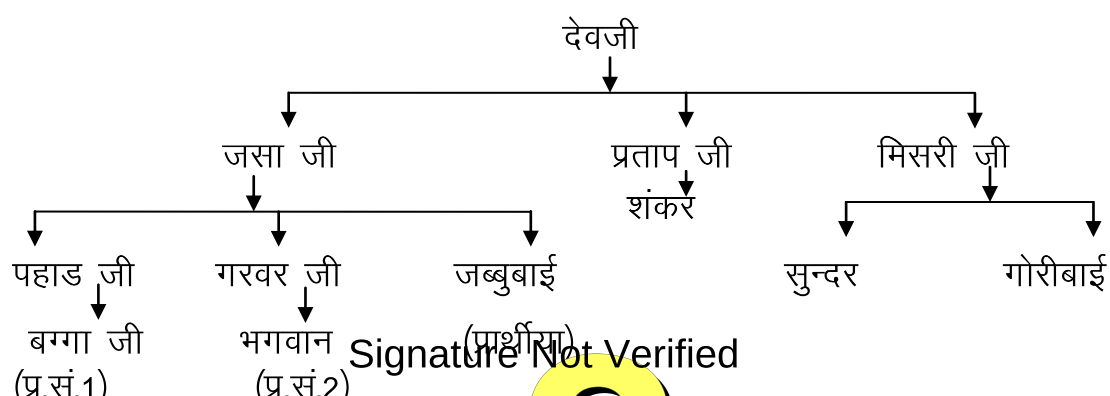

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त सजरे के अनुसार मूल पुरूष श्री देव जी हुए। स्व. श्री देवजी के तीन पुत्र जस्सा जी, प्रताप जी, मिसरी जी हुए। जस्सा जी की मृत्यु करीब 39 वर्ष पूर्व हो चुकी हैं। जस्सा जी के दो पुत्र पहाड जी एवं गरवर जी तथा एक पुत्री प्रार्थीया जब्बुबाई हुई। जस्सा जी के दोनो पुत्र पहाड जी एवं गरवर जी का भी निधन हो चुका है। जिससे पहाड जी का पुत्र बग्गा जी विपक्षी संख्या 1 एवं गरवर जी का पुत्र भगवान विपक्षी संख्या 2 मौजूद हैं। इसी प्रकार मूल पुरूष स्व. श्री देव जी के दूसरे पुत्र श्री प्रताप जी का निधन हो चुका हैं। जिसके पीछे उसका एक मात्र वारिस श्री शंकर था जो भी लाऔलाद फौत हो चुका हैं। इसी प्रकार मूल पुरूष स्व. श्री देव जी के तीसरे पुत्र मिसरी जी का भी निधन 40 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा उसकी पत्नी श्रीमती सुन्दरबाई एवं पुत्री गोरीबाई का भी निधन हो चुका हैं। जिससे स्व. श्री मिसरी जी का कोई भी उत्तराधिकारी मौजूद नहीं हैं।

3. यह कि अंकित सजरे के अनुसार मूल पुरूष श्री देव जी की मृत्यु के पश्चात् उनकी समस्त भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है उनके तीनों पुत्रों सर्व श्री जस्सा जी, प्रताप जी, मिसरी जी में 1/3, 1/3 हिस्सानुसार निहीत हुई। श्री देव जी के तीनों पुत्रान जस्सा जी, प्रताप जी एवं मिसरी जी की भी मृत्यु हो चुकी है। जिससे जस्सा जी के 1/3 हिस्से की आराजीयात उनके दो पुत्र पहाड जी, गरवर जी व पुत्री प्रार्थीया जब्बुबाई में 1/9 हिस्सानुसार निहित हुई। पहाड जी की भी मृत्यु हो चुकी हैं। जिससे उनके 1/9 हिस्से की भूमि उनके एक मात्र वारिस विपक्षी संख्या 1 एवं गरवर जी की मृत्यु होने से उनके 1/9 हिस्से की भूमि उनके एक मात्र वारिस विपक्षी संख्या 2 में निहित हुई, किन्तु जब जस्सा जी की मृत्यु हुई तो उनके दोनो पुत्रो पहाड जी एवं गरवर जी ने प्रार्थीया की पीठ पीछे राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उनकी समस्त सम्पति दोनों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवा दी। जबकि प्रार्थीया स्व. श्री जस्सा जी की जायन्दा औलाद होने से प्रार्थीया का जस्सा जी की सम्पति में उनके दोनों पुत्रों के बराबर का अर्थात् जस्सा जी की सम्पति का 1/3 हिस्सा हैं। मूल पुरूष श्री देव जी के दूसरे पुत्र श्री प्रताप जी की भी मृत्यु हो गई है जिससे उनके 1/3 हिस्से की आराजीयात उनके एक मात्र वारिस शंकर के नाम दर्ज हुई। श्री शंकर भी लाऔलाद फौत हो गया। इसी प्रकार देव जी के तीसरे पुत्र श्री मिसरी जी की मृत्यु हो चुकी है। जिनके दोनो वारिस उनकी पत्नी श्रीमती सुन्दर एवं पुत्री गोरीबाई भी फौत हो गए हैं। इस प्रकार श्री देव जी के दो पुत्र श्री प्रताप जी एवं श्री मिसरी जी के कोई वारिस नहीं होने से उनके 2/3 हिस्से की भूमि भी जस्सा जी के वारिस प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1, 2 को हिस्सा बराबर अनुसार प्राप्त हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि स्व. श्री देव जी का समस्त सम्पति के वारिस प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1, 2 हिस्सा बराबर से हुए किन्तु विपक्षी संख्या 1, 2 ने प्रार्थीया के पीठ पीछे बिना प्रार्थीया की जानकारी के उनका नाम दर्ज करवा दिया एवं प्रार्थीया का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं करवाया। जिससे प्रार्थीया को घोषणा बाबत् वाद प्रस्तुत करना पडा हैं। परिशिष्ट क, परिशिष्ट ख, परिशिष्ट ग, परिशिष्ट च, परिशिष्ट छ, में सम्मिलित रूप से 1/3 हिस्सा एवं परिशिष्ट घ में वर्णित सम्पति में 1/6 हिस्सा है एवं मौके पर भी इसी अनुसार प्रार्थीया एवं विपक्षीगण का सम्मिलित रूप से कब्जा है किन्तु भूमि राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज हो जाने से प्रार्थीया के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा हैं। प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1, 2 को कई बार निवेदन किया गया कि वे वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीया के हिस्से को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाये किन्तु विपक्षी संख्या 1, 2 नहीं मानकर उल्टा विपक्षी संख्या 1, 2 आये दिन प्रार्थीया को धमकीयां देते है कि वह भूमि से कब्जा छोडकर भाग जाए नही ंतो उनके साथ कोई संगीन वारदात करेंगे एवं यह भी धमकीयां देते है कि चूंकि भूमि राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज है। अतः वे भूमि को भू माफिया के व्यक्तियों को विक्रय कर देगें जिससे प्रार्थीया को भय हो गया है कि प्रार्थीया अपनी भूमि से हाथ धो बैठेगी यदि ऐसा हो गया तो प्रार्थीया को अशोधनीय हानि होगी जिसका एवजाना नकदी में किया जाना सम्भव नहीं है जबकि प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में हैं।

5. यह कि विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में कई बार जबरन कब्जा करने एवं वादग्रस्त आराजीयात को आगे से आगे हस्तान्तरण की धमकीयां प्रार्थीया को दिये जाने पर व अंतिम बार दिनांक 31.08.2014 को दिये जाने से इस प्रार्थना पत्र का बिनाय पैदा हुआ। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1, 2 के विरूद्व आज ही इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान कराई जावे कि विपक्षी संख्या 1, 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया के संयुक्त कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा पैदा नहीं करे, प्रार्थीया को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन बेदखल नहीं करे, उपरोक्त आराजीयात को किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से रहन, बैह, बक्षीस या किसी भी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे, न ही इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से ही करावे एवं मौके तथा रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 3, 7, 9, 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित [illegible] इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 1, 4, 5, 8, को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि सजरा खानदान में जस्सा जी का सजरा स्वीकार है। मूल पुरूष देवजी की मृत्यु होने के पश्चात् उनकी समस्त भूमि हिस्सानुसार जस्सा जी में निहित हुई। जस्सा जी के दो पुत्र पहाड जी और गरवर जी व प्रार्थीया (मृतका) जब्बुबाई पुत्री हुई जिसका विवाह श्री हजारी जी रेबारी निवासी सोडावास, ढाणी तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ के साथ अपने पिता के जीवन काल में विवाह सम्पन्न हुआ तब से ही जब्बु बाई अपने ससुराल में अपने पति के साथ जीवनयापन करती आ रही थी बाद में मुझ प्रार्थी के पिता का देहान्त होने के पश्चात् उक्त भूमि हम दोनो भाईयों बग्गा और मुझ प्रार्थी के नाम पर दर्ज हुई तब से मैं प्रार्थी और मेरे काका का लडका बग्गा उक्त जमीन पर तकरीबन 55 साल से काश्त करते आ रहे है उक्त जमीन पर हमारा ही कब्जा है प्रार्थीया का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा न ही स्वत्व व हक के लिये ही प्रार्थीया ने कहीं भी जरूरत समझी। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार मुझ प्रार्थी का हिस्सा मुझ प्रार्थी को उक्त सम्पति में से मिला हैं।

7. यह कि विपक्षी संख्या 1 व 2 ने कभी भी कोई भी तथ्य प्रार्थीया से नहीं छुपाया। प्रार्थीया का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं होने बाबत् तथ्य की जानकारी मुझ प्रार्थी संख्या 2 द्वारा दी गई तब भी प्रार्थीया ने कहा कि मुझे किसी भी प्रकार की सम्पति में कोई हक नहीं चाहिए। मैं मेरे पति की सम्पति से पूर्ण रूप से संतुष्ट हुं। प्रार्थीया को विपक्षी संख्या 1 बग्गा बहला फुसला कर न्यायालय में लाकर पैतृक सम्पति का वाद प्रस्तुत करा प्रार्थीया के हिस्से को हडपने की नियत से उक्त वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है चूंकि इस दरमियान वादीयां की उम्र 96 वर्ष की थी और विपक्षी संख्या 1 बग्गा ने बदनियति पूर्वक उक्त प्रार्थना पत्र/वाद प्रस्तुत करवाया था उक्त वाद/प्रार्थना पत्र दिनांक 01.09. 2014 को प्रस्तुत किया था व विपक्षी संख्या 1 बग्गा को यह प्रतीत हुआ कि मुझ प्रार्थी की भुवा जब्बु उर्फ जबरी बाई जो कि प्रार्थीया/वादीया थी बुजुर्ग होने के कारण उक्त प्रार्थीया जीवित ना रही तो उक्त वाद/प्रार्थना पत्र सीरे से ही समाप्त हो जाएगा। जिससे विपक्षी संख्या 1 ने उक्त प्रार्थीया से 1 रजिस्टर्ड वसीयत पत्र दिनांक 09.09.2014 का उप पंजीयक कार्यालय मावली में अपने पुत्र ललित पिता बग्गा रेबारी के नाम बदनियति पूर्वक निष्पादित करवा दिया जिससे प्रारम्भतया यह साबित होता है कि विपक्षी संख्या 1 बग्गा व उसके पुत्र ललित पिता बग्गा जी रेबारी की अपनी भुआ का यानि प्रार्थीया का हक हिस्सा दुर्मंशा पूर्ण हडपने की रही हैं। प्रार्थीया की कभी भी उक्त भूमि में हक हिस्सा लेने की मंशा नहीं रही है ... संख्या 2 अपने हक हिस्से पर तकरीबन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

40 वर्ष से काबिज हो काश्त करता आ रहा है कभी भी कोई धमकी प्रार्थीया को नहीं दी है।

8. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद के परिशिष्ट क, ख, ग, घ, च एवं छ में वर्णित सम्पूर्ण भूमि मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 बग्गा पुत्र पहाड जी रेबारी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज हो काश्त करते आ रहे है व उक्त कृषि भूमि हमारे पूर्वजों के समय से हिस्सा व बंटवारा अनुसार मैं प्रार्थी अपनी जमीन पर काश्त करता आ रहा हुं जिसका विधिक रूप से बंटवारा मुझ विपक्षी संख्या 2 व 1 के मध्य प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 में दिनांक 18.12.2004 को बंटवारा प्रार्थना पत्र जरिये पटवार हल्का तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर विधितः बंटवारा प्रस्ताव बना बंटवारानुसार मौके पर जमीन के आराजी नम्बर का विभाजन कर बंटवारा कर दिया और उसी अनुरूप मैं विपक्षी संख्या 2 पिछले 40 वर्षों से लगातार अपने हिस्से व कब्जे अनुसार अपनी कृषि भूमि पर काबिज हो काश्त करता आ रहा हुं वक्त बंटवारा भी प्रार्थीया द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं की गई न ही प्रार्थीया की शुरू से ही उक्त सम्पति में हिस्सा लेने की नियत ही रही हो बंटवारे में मुझ विपक्षी संख्या 2 के आराजी नम्बर क्रमशः 3446/4086, 3448/4182, 3450/4223, 3451/4271, 4174/357, 4176/257, 4177/357, 4182/357, 4264/357 किता 9 कुल रकबा 8 बीघा खातेदारी हक से दर्ज है व वहीं विपक्षी संख्या 1 बग्गा पिता पहाड जी रेबारी के आराजी नम्बर 3447/4177, 3449/4182, 4086/357, 4171/357, 4175/357, 4223/357, 4252/357, 4265/357, 4271/357 किता 9 कुल रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। यह कि प्रार्थीया अगर चाहती तो उक्त भूमि में मेरे पिता के जीवनकाल में ही हक हिस्सा मांग सकती थी परन्तु ऐसी प्रार्थीया की कोई मंशा नहीं थी वरन विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थीया को बहला फुसला कर जानकारी के अभाव में उक्त प्रार्थना पत्र/वाद प्रस्तुत करवा दिया था व उक्त वाद प्रस्तुत करने के 9 दिन पश्चात् ही विपक्षी संख्या 1 ने अपने पुत्र के नाम 1 वसीयतनामा प्रार्थीया से निष्पादित करवाया जिससे भी ये जाहिर है कि विपक्षी संख्या 1 अपनी भुआ को खडा कर उसका हिस्सा भी हडपना चाह रहा है चूंकि प्रार्थीया की मृत्यु दिनांक 22.07.2015 को हो चुकी है जो कि उस समय 100 वर्ष की थी चूंकि अब वादीया का देहान्त हो चुका है और उसके जाईन्दा विधिक वारिस पुत्र रामचन्द्र, डुंगरलाल, शंभु, बब्बु उर्फ बाबुलाल व पुत्री गंगा है को विपक्षी संख्या 1 ने विधिक वारिसान कायम नहीं कर उक्त भूमि को हडपने की नियत से तथाकथित वसीयत का निष्पादन करवा व अपने पुत्र के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर अपने पुत्र को उक्त प्रार्थीया की जगह वाद में [illegible] वारिस कायम करने के लिए प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत किया है जो कि आप न्यायालय में जैर पेन्डिग है जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि जब्बु उर्फ जबरी बाई की सम्पति को विपक्षी संख्या 1 हडपना चाहता है व वसीयत के आधार पर उक्त न्यायालय को सुनने का कोई अधिकार नहीं है पहले वसीयत को सक्षम न्यायालय से साबित नहीं करा लेवे, तब तक भी उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का कोई भी प्राईमाफेसी मामला सिद्व नहीं होता है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 1 द्वारा र्दुमंशा पूर्ण रूप से प्रस्तुत करवाया गया था परन्तु वर्तमान में वादीया का निधन हो चुका है व वादीया के जाईन्दा पुत्र एवं पुत्री भी इस वाद में पक्षकार नहीं बने है व वसीयत के आधार पर भी प्रार्थी पक्षकार नहीं बन सकता जब तक कि सक्षम न्यायालय से वसीयत को साबित नहीं करा लेवें। अतः प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र सिरे से खारिज होने योग्य है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर विपक्षी संख्या 2 को न्याय दिलाया जावें।

9. **विपक्षी संख्या 6, 7, 10, 11 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन** किया कि उक्त वाद वर्णित भूमि में हम प्रतिवादीगणों का हक व हिस्सा है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हिस्सानुसार दर्ज है व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस में काका–बाबा के भाई है व एक ही परिवार के है। प्रार्थीया जब्बु उर्फ जबरीबाई उक्त दोनो विपक्षी संख्या 1 व 2 की भुवा है। जिनका विवाह श्री हजारी जी रेबारी निवासी सोडावास ढाणी तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ के साथ हुआ तभी से प्रार्थीया अपने पति के साथ निवासरत थी। प्रार्थीया द्वारा कभी भी किसी भी पैतृक भूमि बाबत् अपने हिस्से की मांग अपने पिता के जीवनकाल में अथवा अपने भाईयों के जीवनकाल में की गई हो चूंकि विपक्षी संख्या 1 बग्गा जी के मन में बदनियती होने से इन्होने प्रार्थीया को जबरन अंगुठा लगवा उक्त प्रार्थना पत्र व वाद पत्र प्रस्तुत करवाया था परन्तु तत्समय जब्बु बाई की उम्र 96 वर्ष की थी व वृद्वावस्था होने के कारण मरणासन अवस्था में थी व विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त तथ्य की जानकारी होते हुए भी की प्रार्थीया ने कभी भी अपने पैतृक सम्पति के हक हिस्से बाबत् कोई दावा या प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना चाहती थी। अतः विपक्षी संख्या 1 द्वारा दावा पेश कराने के दौरान दिनांक 01.09.2014 के बाद दिनांक 09.09.2014 को एक वसीयत पत्र अपने पुत्र के पक्ष में जब्बु बाई से निष्पादित करवा दिया था जिससे की विपक्षी संख्या 1 व उसके पुत्र ललित पिता बग्गा जी रेबारी की स्पष्टतया दुर्मंशा रही कि जब्बुबाई के निधन के पश्चात् उक्त वाद में मेरा पुत्र विधिक प्रतिनिधी बनकर उक्त दावें में विपक्षी संख्या 2 के हिस्से में से जमीन का हिस्सा ले लेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

10. यह कि प्रार्थीया के निधन के पश्चात् उसके विधिक उत्तराधिकारी पुत्र रामचन्द्र, डुंगर, बब्बु उर्फ बाबुलाल, शम्भुलाल व पुत्री गंगा को भी उक्त वाद/प्रार्थना पत्र की कोई जानकारी नहीं है व ना ही उक्त विधिक उत्तराधिकारियों ने न्यायालय में इस बाबत् उपस्थिति ही दी है एवं तथाकथित वसीयत के आधार पर आप विपक्षी संख्या 1 ने अपने पुत्र को उक्त प्रार्थीया का विधिक वारिस बनाने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है क्योंकि वसीयत के आधार पर पहले सक्षम न्यायालय में उक्त वसीयत को साबित करा लेवे तब ही इस न्यायालय से दाद प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे व प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर प्रार्थीगणों को न्याय दिलाया जावें। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगणों के विरूद्व कोई रिलिफ नहीं चाहिए। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जावें।

11. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. ***प्रथम दृष्टया मामला–*** प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की मौरूसी सम्पति है तथा मौरूसी सम्पति में हमारा भी हक हिस्सा निहित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण व अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है प्रार्थीया जब्बुबाई, विपक्षी संख्या 1, 2 की भुआ हैं। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीया के पिता जसा एवं जसा के भाई प्रताप एवं मिसरी के नाम दर्ज हो। प्रार्थीया को अपने प्रार्थना पत्र में किए गए कथन के संबंध में दस्तावेजात प्रस्तुत चाहिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

था। वादग्रस्त आराजीयात वादीया के पिता के नाम कम दर्ज थी। किस आदेश से प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता के नाम दर्ज हुई। किस आदेश से प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज हुई है। ऐसा कोई भी आदेश प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। साथ ही न्यायालय का यह भी अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम पृथक – पृथक से दर्ज है। प्रार्थीया स्वयं प्रार्थना पत्र में स्वीकार कर रही है कि प्रार्थीया के मौरूस जस्सा, प्रताप, मिसरी की मृत्यु लगभग 39 वर्ष पूर्व हो चुकी है ऐसे में 39 वर्ष से वादग्रस्त भूमि के पूर्व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता एवं बाद में प्रतिवादी संख्या 1, 2 खातेदार चले आ रहे है। वर्तमान में प्रार्थीया का निधन हो चुका है। उसके पश्चात वसीयत के आधार प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र ही वादी के रूप पक्षकार नियोजित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीया के कथनानुसार 39 वर्ष चले आ रहे खातेदारो के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थीया द्वारा 39 वर्ष पश्चात वाद प्रस्तुत करने का भी कोई कारण अंकित नही किया जो माने जाने योग्य हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्व साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्व में निर्णित किया जाता है।

2. ***सुविधा का संतुलन–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षीगण वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से यदि खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे खातेदारों को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। चूंकि खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। इसलिए सुविधा का संतुलन का बिन्दु विपक्षीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से यदि विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा विपक्षीगण को अपनी भूमि के विकास, ऋण आदि में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व में निर्णित किया जाता हैं।

13. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा रेबारियो की ढाणी पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

2067–70 के खाता संख्या 71 पर दर्ज आराजी नम्बर 3447/4177, 3449/4182, 4086/357, 4171/357, 4175/357, 4223/357, 4252/357, 4265/357, 4271/357 किता 9 कुल रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, खाता संख्या 86 पर दर्ज आराजी नम्बर 3446/4086, 3448/4182, 3450/4223, 3451/4271, 4174/357, 4176/357, 4177/357, 4182/357, 4264/357 किता 9 कुल रकबा 8 बीघा, खाता संख्या 87 पर दर्ज आराजी नम्बर 4253/357 रकबा 3 बिस्वा, खाता संख्या 84 पर दर्ज आराजी नम्बर 4078/357, 4119/357, 4121/357, 4123/357, 4178/357, 4220/357 किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा, खाता संख्या 124 पर दर्ज आराजी नम्बर 4084, 4250/357, 4268/357, 4269/357, 4270/357 किता 5 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा एवं खाता संख्या 136 पर दर्ज आराजी नम्बर 4085/357, 4251/357, 4266/357, 4267/357 किता 4 कुल रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि विपक्षीगण व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर विपक्षीगण व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा मूल वाद पैतृक भूमि में हिस्से की घोषणा हेतु पेश किया हैं परन्तु पत्रावली में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में विपक्षी संख्या 1, 2 के मौरूस के नाम दर्ज थी। यदि यह मान भी लिया जाए कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में विपक्षी संख्या 1, 2 के मौरूस के नाम दर्ज थी परन्तु प्रार्थी द्वारा वर्ष 2014 में उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थी स्वयं द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 3 में यह कथन किया कि प्रार्थीया के पिता एवं विपक्षी संख्या 1, 2 के दादा जस्सा की मृत्यु करीब 39 वर्ष पूर्व हो चुकी हैं। चूंकि प्रार्थीया के कथनानुसार यदि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है तो जाहिर है कि जस्सा जी के मरने के बाद वादग्रस्त भूमि उनके वारिस पहाड जी व गरवर जी के नाम दर्ज हुई होगी एवं पहाड जी एवं गरवर जी के स्वर्गवास पश्चात् विरासत के आधार पर विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज हुई होगी।

प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम विरासत के आधार पर पीढी दर पीढी दर्ज हुई हो। यदि पीढी दर पीढी विरासत के आधार पर विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज हुई हो तो दावा पेश करने से पूर्व लगभग 39 वर्ष तक [illegible] द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

करवाने की अथवा नामान्तरकरण खारिज करवाने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इतने लम्बे समय तक कार्यवाही नहीं करने का भी कोई कारण नहीं बताया हैं। लगभग 39 वर्ष बाद दावा पेश करने से स्पष्टयता यह जाहिर होता है कि प्रार्थीया स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आई हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 एवं अन्य सहखातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं।

वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा विपक्षीगण को अपनी भूमि का विकास करने, ऋण आदि लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पडेगा। चूंकि खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार हैं। इस प्रकार वादीया के कथनानुसार 39 वर्षो से क्रमशः चले आ रहे खातेदारो के विरूद्ध बिना किसी आधार के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही है।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किये गये हैं। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विपक्षी संख्या 1, 2 के विरूद्व पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested